तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया मिस जोइन्डर ऑफ पार्टी के नुक्ता पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल ~~पेश~~ शुमार होकर नम्बर होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

...सल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
261/प्रा.पत्र/2024	12.12.2024	30.04.2025

विमला बाई उम्र 61 वर्ष पत्नी भैरूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान।

–प्रार्थिया

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान् तहसीलदार, तहसील तालेडा जिला बूंदी (राज0)

–अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थिया :– श्री ग्यारसीलाल गुर्जर

अधिवक्ता अप्रार्थिया :– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थियाया के स्वामित्व खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या नया 211 पुराना 11 के खसरा संख्या 26 रकबा 0.1781 हैक्टेयर नहरी प्रथम वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का रघुनाथपुरा भू.अ.नि.क्षैत्र तालेड़ा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान में स्थित चली आ रही है। प्रार्थिया की उक्त भूमि की सीमाओं से संबंधित विवाद है तथा ऐसी सीमा संबंधित विवादों का विनिश्चय के लिए लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 111 एवं 128 में व्यवस्था की गई है जिसके तहत सीमाओं के संबंध में किसी विवाद की दशा में भूमि अभिलेख अधिकारी जहां तक सम्भव हो विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर या ऐसे नक्शे उपलब्ध ना हो तो वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा। साथ ही में भूमि अभिलेख अधिकारी संक्षेप जांच करके यह सुनिश्चित करेगा कि कौनसा पक्षकार कब्जे का सर्वोत्तम हकदार है। और तब तदनुसार सीमा निश्चित करेगा। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थियाया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित फरमावे कि प्रार्थिया के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या नया 211 पुराना 11 के खसरा संख्या 26 रकबा 0.1781 हैक्टेयर नहरी प्रथम वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का रघुनाथपुरा भू.अ.नि. क्षैत्र तालेडा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थर गढ़ी करवाये जाने के आदेश अप्रार्थिया को प्रदान किये जावे साथ ही सीमाज्ञान व पत्थर गढी के समय पुलिस थाना तालेडा को उपस्थित रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिया पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थिया पेरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर भूमि खाता संख्या नया 211 पुराना 11 के खसरा संख्या 26 रकबा 0.1781 हैक्टेयर नहरी प्रथम वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का रघुनाथपुरा भू.अ.नि.क्षैत्र तालेड़ा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान पर नकल जमाबन्दी अनुसार प्रार्थिया खातेदार दर्ज है। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.074.2024 में स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थिया की उतरी सीमा पर समीपस्थ खातेदार ने 2 फीट की दीवार उठाकर बाउन्ड्री की गई है। दोनो तरफ से नापने पर नक्शे अनुसार मौके पर आंशिक अन्तर आता है। ऐसी स्थिति में आंशिक अन्तर को मौके पर जाहिर करने पर विवाद होने की सम्भावना बतायी गयी । प्रार्थिया सीमाज्ञान से सहमत नही है।

साक्ष्य में प्रार्थिया की और से नकल जमाबन्दी खाता संख्या नया 211 पुराना 11 के खसरा संख्या 26 रकबा 0.1781 हैक्टेयर नहरी प्रथम वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का रघुनाथपुरा भू.अ.नि.क्षैत्र तालेड़ा तहसील तालेडा जिला बूंदी भू–नक्शा खसरा सं0 26 एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.07.2024 व आधार कार्ड विमलाबाई की प्रति पेश की।

बहस प्रार्थिया अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता संख्या नया 211 पुराना 11 के खसरा संख्या 26 रकबा 0,1781

...री प्रथम जो वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का रघुनाथपुरा भू.अ.नि.क्षेत्र तालेड़ा तहसील तालेडा ...बूंदी में प्रार्थिया खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जो कि प्रार्थिया की खातेदारी की भूमि है, प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत ...माइज्ञान रिपोर्ट से प्रार्थिया स्वयं सन्तुष्ट नही है एवं अपने प्रार्थना पत्र में सभी पुलिस सुरक्षा हेतु लिखा गया है। सीमा सम्बन्धित विवाद की पुष्टि तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया को पडोसी खातेदार कृषक को पक्षकार बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। किन्तु प्रार्थिया द्वारा पडोसी खातेदार कृषक को पक्षकार नही बनाये जाने से प्रकरण में उसे सुना जाना सम्भव नही है ऐसी स्थिति में आवश्यक पक्षकार को सुने बगैर प्रार्थिया की भूमि की पत्थरगढी हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया मिस जोइन्डर ऑफ पार्टी के नुक्श पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। प्रार्थिया प्रभावित पडोसी खातेदारान् को पक्षकार बनाकर नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उचित अनुतोष प्राप्त कर सकती है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा